



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 फाल्गुन 1940 (श०)

(सं० पटना 355) पटना, शुक्रवार, 8 मार्च 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

8 मार्च 2019

कठिनाइयों का निवारण आदेश सं० 3/2019-राज्य कर

एस० ओ० 53, दिनांक 8 मार्च 2019— जहां कि बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 31 की उप धारा (3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कि छूट प्राप्त माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति करता हो या धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत कर का भुगतान करता हो, टैक्स इनवायस के बदले आपूर्ति बिल जारी करेगा और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कि उक्त उपवाक्य के दायरे में नहीं आता है को, टैक्स इनवायस जारी करना होगा;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 172 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, कठिनाइयों के निवारण के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं, यथा:-

- संक्षिप्त नाम — इस आदेश को बिहार माल और सेवाकर (कठिनाइयों का तृतीय निवारण) आदेश, 2019 कहा जाएगा ।
- कठिनाइयों के निवारण के लिए, एतद्वारा, स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप धारा (3) के उपवाक्य (ग) के प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू होंगे जो कि अधिसूचना संख्या 2/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 07.03.2019, जिसे बिहार गजट

असाधारण अंक में संख्या 340 दिनांक 07.03.2019 के द्वारा प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो ।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 879)]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

8 मार्च 2019

एस० ओ० 53, दिनांक 8 मार्च 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 879)]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

*The 8<sup>th</sup> March 2019*

**Removal of Difficulty Order No. 03/2019- State Tax**

S.O. 53, Dated 8<sup>th</sup> March 2019.— Whereas, clause (c) of sub-section (3) of section 31 the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) provides that a registered person supplying exempted goods or services or both or paying tax under the provisions of section 10 shall issue, instead of a tax invoice, a bill of supply, and therefore any person not covered by the said clause has to issue a tax invoice;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the Governor of Bihar, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title. —This Order may be called the Bihar Goods and Services Tax (Third Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that provisions of clause (c) of sub-section (3) of section 31 of the said Act shall apply to a person paying tax under notification No 2/2019-State Tax (Rate) dated the 7<sup>th</sup> March, 2019 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 340, dated the 7<sup>th</sup> March, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 879)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 355-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>